कार्यालय जनपद न्यायाधीश, आजमगढ़।

नि वि दा सू च ना

जनपद न्यायालय आजमगढ़ में लगे एयर कंडीशनर के अधोलिखित कार्यों हेतु सील बंद निविदा प्रकाशन की तिथि से 10 दिन के अंदर नज़ारत अनुभाग में आमंत्रित की जाती है–

01. गैस रिफिलिंग प्रति यूनिट की दर से
02. पी०सी०बी० मरम्मत रिप्लेसमेंट प्रति यूनिट की दर से
03. कॉपर पाइप रिप्लेसमेंट प्रति मीटर की दर से
04. इनडोर तथा आउटडोर मोटर प्रति यूनिट की दर से
05. एयर कंडीशनर की सर्विसिंग प्रति यूनिट की दर से
06. एम०सी०बी० रिप्लेसमेंट प्रति यूनिट की दर से
07. वोल्टेज स्टेबिलाइज़र मरम्मत प्रति यूनिट की दर से

नियम/शर्तों व अन्य जानकारी के लिए जनपद न्यायालय, आजमगढ़ की वेब साइट https://azamgarh.dcourts.gov.in पर जाएँ।

निविदा कार्य हेतु नियम व शर्ते-

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में ही मान्य होगी तथा संबन्धित निविदाकर्ता का पूर्ण विवरण लिफाफे पर उल्लिखित होना चाहिए।
2. निविदा निविदाकर्ता की उपस्थिती में नियत तिथि जगह व समय पर समिति द्वारा खोली जाएगी, जिसकी जानकारी नज़ारत अनुभाग से निविदा प्रकाशन की तिथि से 10 दिन बाद प्राप्त की जा सकती है।
3. सफल निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार होने के उपरांत उसे पूरे वित्तीय वर्ष 31.03.2027 तक कार्य में सेवाएँ देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दशा में पूरे वित्तीय वर्ष निविदा में उल्लिखित दर में कोई बदलाव मान्य नहीं होगा।
4. कार्य संतोषजनक ना पाये जाने अथवा कार्य में शीथीलता पाये जाने पर सफल निविदाकर्ता की निविदा किसी भी समय समाप्त कर दी जाएगी।
5. निविदा में नियमानुसार जी० एस ० टी० की दरें सम्मिलित होनी चाहिए तथा उसका भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जाएगा, जिसकी प्रति बतौर साक्ष्य नज़ारत अनुभाग में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

अध्यक्ष
अवस्थापना उप-समिति/
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट),
आजमगढ़।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. ओ ० एस ० डी०, कम्प्यूटर, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को माननीय उच्च न्यायालय की वेब साइट पर अपलोड किए जाने के अनुरोध के साथ ससम्मान प्रेषित।
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ़ को स्थानीय व राष्ट्रीय समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन हेतु।
6. केंद्रीय नाज़िर, आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7. केंद्रीय नाज़िर कलेक्ट्रेट को को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर), जनपद न्यायालय आजमगढ़ को इस जजशिप की अधिकृत वेब साइट पर अपलोड किए जाने हेतु।

अध्यक्ष
अवस्थापना उप-समिति/
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट),
आजमगढ़।